

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

कुंवर विरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 87/2021
निर्णय दिनांक :- 12.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री
दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक
24 एच बी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 37/21 की कुल 1.795 हैक्टर
नहरी भूमि में अंकित नाम विरेन्द्र सिंह पुत्र हरदीप सिंह के स्थान पर कुंवर विरेन्द्र सिंह पुत्र हरदीप
सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बद्स्तुर रहेगे।
उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.10.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, सीतापुर (राजस्थान)
श्रीकरणपुर जिला श्रीमंगानगर
श्री कटपपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/368
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीमंगानगर
दिनांक: 12/10/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीमंगानगर
श्री कटपपुर

